

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2024/ 9847

दिनांक - 16.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पेमाराम पुत्र बस्ताराम
जाति सुथार निवासी
खावडिया तहसील बाटाडू
जिला बाड़मेर।

1 सूरताराम पुत्र बस्ताराम 2 तारोदेवी पुत्री पूंजाराम जाति सुथार 3
मूलाराम पुत्र गजाराम 4 फुसाराम 5 बाबूलाल पिसरान ईशाराम
6 माडू पत्नि स्व. ईशाराम 7 ताजाराम पुत्र लूम्वाराम जाति जाट
निवासी खावडिया चौखला 8 जोगाराम पुत्र मूलाराम 9 किशनाराम
पुत्र पूंजाराम जाति सुथार 10 कालुराम पुत्र बनाराम 11 चंदाराम
12 चनणाराम पिसरान मगाराम 13 दलाराम पुत्र बनाराम 14
बादलीदेवी पत्नि मगाराम 15 खींयाराम 17 टीकूराम 17 नारणाराम
18 रावताराम पिसरान सताराम जाति जाट निवासी बागासर
चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-560/2025 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खावडिया पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 483/354 रकबा 4.2230 हैक्टेयर, खसरा संख्या 515/475 रकबा 3.4383 हैक्टेयर, भूमि व मौजा
बागासर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 617/346 रकबा 1.7798
हैक्टेयर, खसरा संख्या 621/348 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 625/476 रकबा 0.3236 हैक्टेयर,
भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9848-51

दिनांक- 16.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पेमाराम पुत्र बस्ताराम जाति सुथार निवासी खावडिया तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सूरताराम पुत्र बस्ताराम वगैराह जाति सुथार निवासी खावडिया चौखला तहसील बाटाडू जिला
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर